

संपादित १२०८
१९७०/७५

| -८०

प्राप्तिलिपि अधिकारी के लिए - - - जो कि श्री
के. के. सत्य राजपूत द्वितीय अपर अधिकारी, दुर्ग प्रमोग के न्यायालय
में तक्रा प्राप्ति २३३/१२ अभिनिहित कि गया है, जिनके पास आवार विमानिष्ठ है:-

म०प्र०शासनम्, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
ताकिन- २१/२४, नेहरू नगर, भिलाई
2. इन्द्रजीत मिश्र उर्फ शानू आ० छोटकन,
ताकिन- बाजार आठा चक्री, कैम्प-१, रोड नं. १८, भिलाई,
3. अवधेश राम आ० रामाशाह राय,
ताकिन- खानून- ७५, रोड नं०-५, से.एर-५, भिलाई
4. अमय उमार तिम उर्फ अमय तिम जा० तिकमा तिम,
ताकिन- ७ जो, कैम्प-१, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलयंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
ताकिन- रामप्रेक्ष कालोनी, मानवीय नगर, ज००५००८०, दुर्ग
6. नवान शाह आ० रामजी भाई शाह,
ताकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, ज००५००८०, दुर्ग
7. पल्टन मत्ताह उर्फ रवि आ० नोलाई पल्टाह,
ताकिन- गंभीर थाना स्ट्रोपर, जिला देवारा ५३०५०४
8. चन्द्र बक्श तिम आ० भारत तिम,
ताकिन-जी-३६, रुसी०री०फालोनी, जामूल, जिला दुर्ग.
9. घन्देव तिम रेणु आ० रावेल तिम रेणु
ताकिन- गार-३७, ए०पी०दाऊतांग नोहौ कालोनी,
झन्डालिया- ररिया, भिलाई. अभियोजन

न्यायालयः - दिवातीय अंतिरिदित सब न्यायाधीश, दर्दी । म०५०।

। समवः - डॉ जैकेंसरावपूत ।

सब प्र०३० - २३३/७२

:: आरोप-पत्र ::

मेरे ऐ०४०स०रावपूत, दिवातीय अंतिरिदित सब न्यायाधीश, दर्दी । म०५०।
मुझे चंद्रबल्लभतिंह उर्फ छोटू ग्रामीण भरतसिंह और निष्ठतिंहित
आरोप लगाता है :-

बात्व ७१ से सितम् १९५१ के बाद किसी समय
पहले कि आपने हुक्को नैनी दर्दी में दिनांक २८-९-५१ को या

जल्दी दर्दी (म०५०) उसके काम्हा प्रारंभ ३.४५ कोरोना उसके बाख्य गुल्मी शह, नवीन शह, घंडांत
शह, शावपुलां गिरा, जगधर रौथ, अमरकुमारलिंग, घंडांत, कल्मेंग सिंह
सर्वे पलटन गल्लां के लाय आपनी तहसिल द्वारा इंस्ट्र गुहा नियोगी छी दर्ता
एवं बहुधं रचा, जो एक अधिक वार्षिक था ओ उसे अधिक लाधनों द्वारा भारित बने
पड़वजो उन्होंनी दिनांक ११.११.५१ के लिये फरार किया था या उस तहसिल के ब्लूस्टफ एवं इंस्ट्र गुहा नियोगी छी
हस्तांकी गई और इस प्रारंभ आपने सब रेसा दार्य किया, जो कि भारतीय है
हमें दिल्ली की धारा । २० वीं तहसिल धारा ३०२ के अधीन एक टंडनीय उपराप
है तथा इसके संबंध छी अधिकारिता इस न्यायालय हो प्राप्त है ।

अत्तमा मेरे आदेशित करता है कि उपर आरोप का विवारण इस
न्यायालय द्वारा किया जावे ।

J. N. Rayamajhi
। ऐ०४०स०रावपूत ।
दिवातीय अंतिरिदित सब न्यायाधीश,
दर्दी । म०५०।


अभियुक्त को उपर आरोप को एक लाये व समझाये जाने पर
उसे लान किया कि :- अप्र०५०-८८ है काटौ,

दिनांक:- २-५-५१

। ऐ०४०स०रावपूत ।
दिवातीय अंतिरिदित सब न्यायाधीश,
दर्दी । म०५०।

J. N. Rayamajhi
११.५.५१

२८-६-५१ ०१२४१२५८



सत्य
३१५.११.५१

प्रधान
प्रति
आर्या, जिला